न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1533–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–4–14 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 143/अपील/13–14.

रानी उर्फ पूजा कौशल पुत्री खेमचंद्र
निवासी टिमरनी जिला हरदा
हाल मुकाम देवनगर सोमनाथ की चाल इंदौर
तहसील व जिला इन्दौर .....आवेदिका

विरूद्ध

दिनेश कुमार आ. नर्मदा प्रसाद कौशल
निवासी टिमरनी जिला हरदा .....अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, टिमरनी जिला हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा टिमरनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 179/3, 190/2 क, 187/1 कुल रकबा 0.760 हेक्टेयर पर उसका नाम बतौर नाबालिग दर्ज है । चूंकि वह व्यस्क हो चुकी है, इसलिए नाबालिग शब्द एवं बली दादा दिनेश कुमार आत्मज नर्मदा प्रसाद का नाम निरस्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–4–2011 को आदेश पारित कर आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में दुरूस्त किया गया । आदेश के अमल दरामद के समय पटवारी द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नाम दर्ज नहीं है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 51 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर दिनांक 10–5–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 21–4–2011 निरस्त किया

गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–9–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–2011 निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 21–4–2011 स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–4–14 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 27–12–2016 को उभय पक्ष की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण इस प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व अभिलेखों में आवेदिका का नाम दर्ज था, अतः तहसीलदार द्वारा दिनांक 21–4–2011 को आदेश पारित कर आवेदिका का नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज करने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश की पुष्टि करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है ।

(2) संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1980 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 41 (ग) के अंतर्गत संरक्षक के प्राधिकार का अंत होने से अधिनियम की धारा 41 (3) के अंतर्गत संरक्षक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उसके नियंत्रण व कब्जे में सम्पत्ति को परिदत्त कर देवे । उक्त वैधानिक स्थिति पर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) अधिनियम की धारा 8 में यह प्रावधानित है कि नाबालिगों की सम्पत्ति बिना जिला न्यायाधीश की अनुमति के विक्रय नहीं की जा सकती है, परन्तु आवेदिका के संरक्षक द्वारा उक्त प्रावधान के उल्लंघन में भूमि का विक्रय कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः शून्यवत है।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि

आवेदिका को तहसील न्यायालय के जिस आदेश से उसका नाम विलोपित हुआ है, उसके विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी । इसी प्रकार अनावेदक का नाम भी जिस संशोधन आदेश से पृथक किया गया है, उसे भी उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी । उपरोक्त वैधानिक स्थिति को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक आदेश है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । आवेदिका द्वारा इस न्यायालय में जो आधार उठाये गये हैं उनके अनुक्रम में वह नियमानुसार मूल संशोधन पंजी की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर